



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)

18, Institutional Area, S.J. S. Marg, New Delhi-110016

Tel: 26521898 Fax: 26514179

Website : www.kvsangathan.nic.in

E-mail: kvs.estt.1@gmail.com

फा .11056/1-1/2017(LDE)-के.वि.सं. (स्था-1)/7986-8089

दिनांक: 24.12.2017

कार्यालय आदेश

निम्न लिखित उप-प्राचार्यों के सीमित विभागीय परीक्षा से प्राचार्य के पद पर चयन उपरान्त उनके पदस्थापना के केन्द्रीय विद्यालय में परिवर्तन के अनुरोध के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि सक्षम अधिकारी द्वारा उनके अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया और मान लिया गया है –


क्र. सं.	उप-प्राचार्य का नाम व के. वि. जहाँ तैनात हैं/थे/थीं	प्राचार्य पद पर तैनाती का केन्द्रीय विद्यालय	संशोधित केन्द्रीय विद्यालय
1.	श्रीमती रमा वर्मा, क्र.1 हिंडन	महोबा	हरसिंहपुरा
2.	श्री राजेश सक्सेना, ए.एफ.एस. तुगलकाबाद	क्र.1, बरौनी	क्र.4 ग्वालियर
3.	श्री सुनील कुमार वी. एस., एर्णाकुलम	नेरिस्ट, निर्जुली	क्र.2 जलाहल्ली
4.	श्रीमती उमा त्यागी, क्र.1 जयपुर	क्र.2 आई.एन.एफ, जामनगर	डाबला
5.	श्री रामनाथ मोहकर, अम्बाझारी, नागपुर	भदरवाह	क्र.2 सागर
6.	श्रीमती पी. एस. बिन्दु, आईलैंड ग्राउंड, चेन्नई	करईकुडी	गिलनगर
7.	श्री सुनील कुमार जोशी, ओ.एन.जी.सी. देहारादून	क्र.2 दरभंगा	ग्वालदम
8.	श्री सुभाष चंद, क्र.1 अंबाला	कोहिमा	तिनसुकिया
9.	श्री हरि हर यादव, क्र.1 एच.बी.के. देहारादून	मासीमपुर	क्र.3 पठानकोट
10.	श्री पी.वी.एस.एस.आर. कृष्णा, गुंटूर	वीरमगाँव	बेंकटगिरी
11.	श्रीमती सुचिता कौशल, क्र.2 सोहना रोड	क्र.2 सागर	क्र.2 सिरसा
12.	श्री बस्तीराम, मथाना	तिनसुकिया	केलौंग
13.	श्री नरेश कुमार, क्र.3 दिल्ली कैंट	एस.एस.बी. हाफलौंग	उभावल
14.	श्री रमेश पाण्डेय, से.-3 पुष्प विहार	लेह	क्र.2 आई.एन.एफ, जामनगर
15.	श्री कुमारा मोहन जी., सी.आर.पी.एफ. पल्लीपुरम	जमतारा	क्र.1 वास्को-डी-गामा
16.	श्री वी. पी. सिंह, क्र.2 आगरा कैंट	सुन्दरगढ़	लालगंज
17.	श्रीमति मीनाक्षी गुप्ता, सै.-31 चंडीगढ़	उभावल	सै.-29 चंडीगढ़

उन्हें निर्देश दिया जाता है कि यदि उन्होंने अभी तक पदभार ग्रहण नहीं किया है तो वे दिनांक 04.01.2018 तक संशोधित केन्द्रीय विद्यालय में पदभार ग्रहण करें अन्यथा उनको दिनांक 31.10.2017 के ज्ञापन द्वारा दिया गया प्रस्ताव बिना किसी अन्य पत्राचार के वापिस ले लिया जाएगा।

(अगले पृष्ठ पर जारी)

यदि उन्होंने पूर्व-प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय में पदभार कर लिया है तो वे तुरंत वर्तमान केन्द्रीय विद्यालय का कार्यभार उप-प्राचार्य/वरिष्ठतम स्नातकोत्तर शिक्षक को लेखा संहिता के अनुच्छेद 227 के अनुसार सौंप दें और अपने तैनाती के संशोधित केन्द्रीय विद्यालय में कार्यग्रहण करें।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(वरुण मिश्र)

सहायक आयुक्त (स्था-1)

प्रतिलिपि:-

1. सम्बंधित उप-प्राचार्य/प्राचार्य।
2. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सम्बंधित संभाग।
3. अध्यक्ष, वि.प्र.सं., सम्बंधित केन्द्रीय विद्यालय।
4. प्राचार्य, सम्बंधित केन्द्रीय विद्यालय।
5. गार्ड फाइल।